

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं० : 52/2023

अनवान :

1. सुनीलकुमार पुत्र भंवरसिंह जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
2. शमशेरसिंह पुत्र जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।

:- वादीगण

वनाम

1. भंवरसिंह पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
2. सुनीता पुत्री भंवरसिंह जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
3. सुन्दर पुत्री भंवरसिंह जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
4. मन्जु पुत्री भंवरसिंह जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मोहर सिंह गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 जेएसएल के खाता सं० 109/103 के मु०न० 35 के कि०न० 6/1, 6/2, 7, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 25/1, 25/2 मु०न० 36 के कि०न० 10, 11, 20, 21, 22 मु०न० 107 कि०न० 16, 17, 21 ता 25 मु०न० 108 कि०न० 24, 25 मु०न० 115 कि०न० 5, 6, 15 मु०न० 116 कि०न० 1 ता 15 कुल किता 44 की 9.867है० तथा रोही मौजा 4 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 153/96 के मु०न० 120 कि०न० 11 ता 13, 19 व 20 कुल किता 5 की 1.265है० वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 भंवरसिंह के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा रोही मौजा चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 144/224 के मु०न० 53 कि०न० 16, 17, 24, 25 मु०न० 54 कि०न० 19 ता 22 मु०न० 61 कि०न० 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 मु०न० 62 कि०न० 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 कुल किता 33 की 8.349है० वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 भंवरसिंह के नाम 464/2783 हिस्सा दर्ज है एवं रोही मौजा चक 6 जेएसएल के खाता सं० 173/159 के मु०न० 26 कि०न० 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2 मु०न० 36 कि०न० 2 ता 9, 12 ता 19 मु०न० 76 कि०न० 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2 मु०न० 107 कि०न० 4 ता 15, 18 ता 20 मु०न० 108 कि०न० 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 कुल किता 62 की 13.031है० वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 भंवरसिंह के नाम 2170/13031 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 भंवरसिंह अकेले की बजाए वादी सुनीलकुमार व शमशेरसिंह तथा प्रतिवादी सं० 1 भंवरसिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं० 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़